न्यायालय सेशन न्यायाधीश, सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारीः देवेन्द्र दीक्षित

जमानत प्रार्थना पत्र संख्याः- 419/2026

अल्फेज पुत्र शकील उम्र 18 वर्ष निवासी मिर्जा मौहल्ला, शहर सवाई माधोपुर पुलिस थाना कोतवाली, तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

-प्रार्थी/अभियुक्त

विरूद्ध

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, सवाई माधोपुर।

-अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र जमानत अन्तर्गत धारा- 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एफआईआर नं. 138/2026 पुलिस थाना कोतवाली, जिला सवाई माधोपुर अन्तर्गत धारा–319(2), 318(4), 112(2), 61(2)(a) भारतीय न्याय संहिता व 66डी आईटी एक्ट

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन संख्या	प्रथम
अभियुक्त की गिरफ्तारी की दिनांक	20.04.2026

उपस्थितः-

1. श्री हयात अली, विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री जितेन्द्र शर्मा, विद्वान लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

आदेश

दिनांकः 08.05.2026

1. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त अल्फेज का जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर द्वारा आदेश दिनांक 23.04.2026 से खारिज किए जाने पर उक्त प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा-483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पेश किया गया। नकल विद्वान लोक अभियोजक को दिलवाई गई।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी हरिलाल, एएसआई ने पुलिस थाना कोतवाली, सवाई माधोपुर पर एक रिपोर्ट इन तथ्यों के साथ पेश की थी कि कार्यालय पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर साईबर सैल से जरिये टीपी सूचना प्राप्त हुई थी कि मोबाईल नम्बर–7357169921 के धारक द्वारा साईबर फ्रोड किया जा रहा है जिसके खाते में दिनाक 17–04–2026 को फ्रोड की राशि प्राप्त हुई है, जिसकी शिकायत साईबर पोर्टल पर प्राप्त हुई है। उक्त सूचना पर परिवादी मय जाप्ता प्राप्त मोबाईल नम्बर की लोकेशन के आधार पर मिर्जा मौहल्ला शहर सवाई माधोपुर पहुंचा, जहाँ पर लोकेशन के

आधार पर चैक किया तो सिम अल्फेज पुत्र शकील निवासी मिर्जा मोहल्ला शहर स0मा0 के पास होना पाई गई जिसको डिटेन कर पूछताछ की गई तो बताया कि उसका खाता एसबीआई बैंक, एटीएम व फोन पे नम्बर 7357169921 को रेयान पुत्र कदीर निवासी मिर्जा मौहल्ला शहर स०मा० ने किराये पर लिया था तथा कहा कि रणथम्भौर बुकिंग का पैसा आएगा, गलत पैसा नहीं है जिसके बदले में दस प्रतिशत कमीशन उसे देने के लिए कहा था तथा उसके एटीएम से रैयान ने पैसे निकाल लिये। इसके बदले में उसे अभी 10 हजार रुपये दिये थे तथा शेष कमीशन बाद में देने के लिए कहा था। इससे पहले उसने एक दो बार भी पैसे कमीशन पर अपने खाते में डलवाये हैं। उसके खाते व एटीएम से पैसे निकालने का काम उसका पड़ौसी जुनैद पुत्र अनीश निवासी अंसारी मौहल्ला शहर स०मा० करता है। उसने उसे फ्रोड के पैसों के बारे में बताया था जिस पर जुनैद व अल्फेज को डिटेन कर थाना कोतवाली लेकर आये एवं शख्स जुनैद से पूछताछ की गई तो बताया कि अमन पुत्र रईश निवासी सवाईमाधोपुर जिसके मोबाईल नम्बर 8619304268 है, वह डिप्टी मीना निवासी बडवास का दोस्त है। डिप्टी मीना द्वारा किये हुए साईबर फ्रोड के पैसे वह अमन के द्वारा दिये गये स्कैनर पर भेजता था। अमन रैयान से बैंक खाता प्राप्त करता था और फ्रोड का पैसा डलवाता था। उसके बाद अमन उसके पास फोन करता तथा कहता कि रैयान से पैसे लेकर आ जा तो वह रैयान से पैसे लाकर अमन को दे देता था। इसके बदले उसे पैसों के हिसाब से कमीशन मिलता था जिस पर मोबाईल नम्बर 7357169921 के विरुद्ध समन्वय पोर्टल पर शिकायत चैक की गई तो शिकायत संख्या ACK NO. 31204260003202 में पीडित रुपलाल पुत्र ठूण्ठीराम निवासी गांव स्लाबकोट पोस्ट सुन्दर नगर मण्डी हिमाचल प्रदेश द्वारा मोबाईल नम्बर –9414758980, 7734055153, 7357169921 व खाता संख्या 00000061170169637 के विरुद्ध इन्वेस्ट के नाम पर फ्रोड की शिकायत दर्ज करवाई है जिस पर म्यूल खाता संख्या 00000061170169637 में 2,53,652.70/– रुपये प्राप्त हुए हैं। खाते के संबंध में पूछताछ की गई तो अल्फेज ने बताया कि खाता संख्या 00000061170169637 उसके पिता शकील के नाम है, जिसका उपयोग वही करता है। इस खाते में उसके मोबाईल नम्बर 7357169921 जुड़े हुए है। इस प्रकार उक्त सिम 7357169921 के धारक अल्फेज व उसके दोस्त जुनैद तथा अन्य साथी रैयान, अमन तथा डिप्टी मीना द्वारा इन्वेस्टमेन्ट डबलिंग के नाम पर साईबर फ्रोड कर व फ्रोड में सहयोग किया है, जिनका उक्त कृत्य धारा 318(4), 319(2), 112(2), 61(2)ए बीएनएस व 66 डी आईटी एक्ट के बकू में आना पाये जाने पर आरोपी शक्स अल्फेज के पास मिले मोबाईल सेमसंग को बतौर बजह सबूत हेतु चैक किया तो मोबाईल में पेटीएम एप बना हुआ है, जिसमें उज्जीवन स्माल फाईन्सैस बैंक –3337, एयरटेल पेमेन्ट बैंक –9921, एसबीआई बैंक –9637 के खाते जुडे हुए है, जो मोबाईल नम्बर 7357169921 से जुड़े हुए है। मोबाईल को बजह सबूत जरिये फर्द जप्ती के जप्त किया गया व आरोपी

अल्फेज तथा जुनैद को जरिये फर्द गिरफ्तारी पृथक–पृथक गिरफ्तार किया गया... इत्यादि।

3. उक्त लिखित रिपोर्ट पर पुलिस थाना कोतवाली, सवाई माधोपुर पर एफआई.आर. नम्बर 138/2026 धारा 318(4), 319(2), 112(2), 61(2)(ए) भारतीय न्याय संहिता व धारा 66D IT Act में पंजीबद्ध की जाकर अनुसंधान किया गया व दौराने अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त की संलिप्तता पाए जाने पर प्रार्थी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जो दिनांक 20.04.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त एवं विद्वान लोक अभियोजक की जमानत प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

5. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों के अनुरूप ही बहस करते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थी का इस प्रकरण से कोई सम्बन्ध नहीं है। उसने कोई आपराधिक कृत्य नहीं किया है न ही पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य है जिससे यह साबित होता हो कि प्रार्थी ने किसी के साथ साईबर फ्रोड किया हो। वह दिनांक 20.04.2026 से अभिरक्षा में है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए।

6. विद्वान लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का कड़ा विरोध करते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

7. उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया एवं केस डायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अन्वेषण के उपरान्त प्रार्थी/अभियुक्त अल्फेज के विरूद्ध धारा 318(4), 319(2), 112(2), 61(2)(ए) भारतीय न्याय संहिता व धारा 66D IT Act के अधीन दण्डनीय अपराध प्रमाणित पाये गये हैं। अन्वेषण के दौरान यह तथ्य सामने आया है कि जिस सिम नम्बर के सम्बन्ध में समन्वय पोर्टल पर शिकायत दर्ज हुई वह सिम कार्ड प्रार्थी के नाम का था एवं उक्त सिम कार्ड पर बने फोन पे एवं एटीएम एवं बैंक खाता उसने सहअभियुक्त रेयान को किराये पर दिया था तथा जिस बैंक खाते को किराये पर दिया वह उसके पिता का था जिस पर प्रार्थी के मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड थे तथा प्रार्थी ही उसके पिता के बैंक खाते का उपयोग कर साईबर फ्रोड की राशि उसमें डलवाता था। सिम नम्बर 7357169921 के धारक अल्फेज व उसके दोस्त जुनैद तथा अन्य साथी रैयान, अमन तथा डिप्टी मीना द्वारा इन्वेस्टमेन्ट डबलिंग के नाम पर अज्ञात लोगों के साथ साईबर फ्रोड कर व फ्रोड में सहयोग किया जाना अनुसंधान से पाया है। अन्वेषण के दौरान प्रार्थी/अभियुक्त अल्फेज की भी संलिप्तता प्रकरण से सम्बन्धित आपराधिक कृत्य में सक्रिय रूप से पाई गयी है। वर्तमान में साईबर अपराध अपनी चरम

सीमा पर है। सहअभियुक्त जुनैद का जमानत प्रार्थना पत्र भी इसी न्यायालय द्वारा अस्वीकार किया गया है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों पर पूर्ण मनन करने एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण-दोष पर विस्तृत टिप्पणी किए बगैर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

8. अतः प्रार्थी/अभियुक्त अल्फेज की ओर से प्रस्तुत जमानत का प्रार्थना पत्र तहत धारा– 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता खारिज किया जाता है।

(देवेन्द्र दीक्षित)
सेशन न्यायाधीश
सवाईमाधोपुर

9. आदेश आज दिनांक 08.05.2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(देवेन्द्र दीक्षित)
सेशन न्यायाधीश
सवाईमाधोपुर